SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

कन्या भ्रूण हत्याः सामाजिक एवं विधिक अध्ययन

देव कुमार ओझा, विधि विभाग
विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कालेज, नवाबगंज, कानपुर, उत्तरप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
देव कुमार ओझा
E-mail : devkumrojha@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 10/10/2024
Revised on : 10/12/2024
Accepted on : 19/12/2024
Overall Similarity : 01% on 11/12/2024

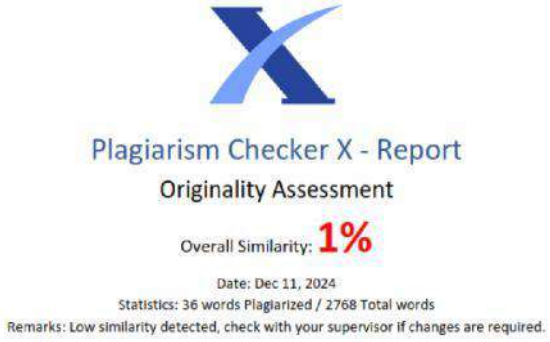

शोध सार

प्रकृति की सबसे सुन्दर कृति "कन्या" है। आदि काल से कन्या को महिमामण्डित किया गया है। कन्या मानवता का सृजन करती है। धरती जिस तरह पंचतत्वों के असंतुलन से प्रभावित होती है, उसी तरह मानव की जन्मदायिनी कन्या भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारकों के असंतुलन से, तथा संकीर्ण रूढ़िवादी एवं घृणित मानसिकता से प्रभावित हो रही है। कन्या भ्रूण हत्या 21वीं सदी के भारतीय समाज के समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा है। हमारे देश में सामाजिक दृष्टिकोण से गर्भपात को उचित नहीं माना जाता है। प्रत्येक स्त्री को विधिक तरीके से विवाह करने एवं गर्भधारण कर बच्चे को जन्म देने का अधिकार प्राप्त है। कन्या भ्रूण संहार का दुष्परिणाम महिलाओं के प्रति हिंसा में वृद्धि तथा मौलिक अधिकारों के हनन के रूप में आ रहा है। संसद द्वारा सन् 1994 में प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (विनियम एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 संशोधित (सन् 2002 में) गर्भधारण पूर्व एवं प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के नाम से संशोधित रूप में लागू किया गया। यह अधिनियम गर्भधारण से पूर्व या उसके पश्चात् लिंग चयन का प्रतिषेध करता है तथा प्रसूति पूर्व निदान तकनीकों का विनियमन करने के साथ ही इन तकनीकों को रोकने का प्रावधान करता है।

मुख्य शब्द

कन्या भ्रूण हत्या, गर्भधारण, प्रसूति, गर्भपात, लिंग चयन.

प्रकृति की सबसे सुन्दर कृति है "कन्या" है। आदि काल से कन्या को महिमामण्डित किया गया है। कन्या मानवता का सृजन करती है। धरती जिस तरह पंचतत्वों के असंतुलन से प्रभावित होती है, उसी तरह मानव की जन्मदायिनी कन्या भी सामाजिक, आर्थिक,

सांस्कृतिक कारकों के असंतुलन से, तथा संकीर्ण रूढ़िवादी एवं घृणित मानसिकता से प्रभावित हो रही है।

कन्या भ्रूण हत्या 21 वीं सदी के भारतीय समाज के समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा है जिसकी वजह से समाज में लिंगानुपात का अंतर बढ़ता जा रहा है जोकि वर्तमान में एक चिन्तनीय विषय है। घटते लिंगानुपात से होने वाले सामाजिक दुष्परिणामों की भयावहता विभिन्न रूपों में सामने आ रही है।

यद्यपि हमारे देश में सामाजिक दृष्टिकोण से गर्भपात को उचित नहीं माना जाता है तथा यहाँ प्रत्येक स्त्री को विधिक तरीके से विवाह करने एवं गर्भधारण कर बच्चे को जन्म देने का अधिकार प्राप्त है, साथ ही कन्या भ्रूण हत्या को सामाजिक कुरीतियों में भी गिना गया है किन्तु वर्षों से बालिकाओं को भेदभाव का सामना जीवन के हर क्षेत्र में करना पड़ रहा है। कन्या भ्रूण हत्या का प्रमुख कारण पुरुष प्रधान समाज होना, लोगों की स्त्रियों एवं बालिकाओं के प्रति संकीर्ण मानसिकता, शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव तथा समाज में व्याप्त अन्य रूढ़िवादी मान्यतायें हैं।

कन्या भ्रूण संहार की वजह से घटते लिंगानुपात का दुष्परिणाम महिलाओं के प्रति हिंसा में वृद्धि तथा मौलिक अधिकारों के हनन के रूप में आ रहा है। महिलाओं के स्वास्थ्य पर, बेटे की चाह में बार–बार गर्भपात के लिए विवश करने से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

महात्मा गाँधी का कथन है कि ''यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक व्यक्ति को शिक्षा देते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पूरी सभ्यता को शिक्षित करते हैं। बालिकाओं को इस प्रकार शिक्षित किया जाना चाहिए जिससे कि वे समाज में भलेबुरे का अंतर समझ सकें तथा स्वयं तार्किक निर्णय ले`सकें।''

पण्डित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अपने वा3मय ''इक्कसवीं सदी नारी सदी'' में मध्यकाल में नारी की स्थिति को वर्णित करते हुये समाज में जो कुरीतियाँ प्रचलित हैं तथा वर्तमान में कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा आदि जो समस्याएँ स्त्रियाँ झेल रही हैं, उन पर विचार व्यक्त किये हैं।

कन्या भ्रूण हत्या को रोकने एवं शिशु लिंगानुपात में हो रही भारी गिरावट को रोकने के लिए संसद द्वारा सन् 1994ई. में प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (विनियम एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994के नाम से एक अधिनियम अधिनियमित किया गया था। सन् 2002 ई0 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसे गर्भधारण पूर्व एवं प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के नाम से संशोधित रूप में लागू किया गया। यह अधिनियम गर्भधारण से पूर्व या उसके पश्चात् लिंग चयन का प्रतिषेध करता है तथा प्रसूति पूर्व निदान तकनीकों का विनियमन करने के साथ ही इन तकनीकों को रोकने का प्रावधान करता है।

कन्या भ्रूण हत्या रोकने के सम्बन्धी विधिक उपबन्ध

सामान्यतया कन्या भ्रूण हत्या उन्हीं परिस्थितियों में देखने को मिलती है जब पहले से यह ज्ञात हो जाता है कि गर्भ में पल रहा भ्रूण कन्या है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के सम्बन्ध संसद द्वारा पूर्व गर्भधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 पारित किया गया, जोकि 01.01.1996 से प्रवर्तन में है। यह अधिनियम प्रसूति पूर्व एवं पश्चात् लिंग चयन के लिए, आनुवांशिक विकारों, उपापचयी विकारों या गुणसूत्री विकारों या जन्मजात विषमताओं या यौन सम्बन्धी विकारों को ज्ञात करने के लिए, प्रसूति पूर्व प्रशिक्षण तकनीक के विनियमन के लिए, और इसका दुरुपयोग रोकने हेतु पारित किया गया है। यह अधिनियम आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला व आनुवंषिक क्लीनिक का भी विनियमन करती है। अल्ट्रासाउंड मशीन, इमेंजिंग मशीन या स्कैनर या कोई अन्य उपकरण जो गर्भस्थ शिशु का लिंग पता लगाने में समर्थ हो, के अपंजीकृत विक्रेता पर प्रतिबंध लगाती है। प्रसूति पूर्व निदान तकनीक का प्रयोग निम्नवत् उद्देश्यों के लिये ही मान्य है। उद्देश्य निम्नवत् हैं:

1. गुणसूत्री अनियमितताओं में।
2. आनुवंशिक उपापचयी विकारों।
3. हीमोग्लोबीनोपैथी।

4. लिंग–सम्बन्धी विकारों में।
5. जन्मजात विषमता में।
6. अन्य कोई अनियमितता या बीमारी जैसा कि केन्द्रीय पर्यवेक्षणीय मण्डल द्वारा निर्दिष्ट की जाये। यदि कोई भी व्यक्ति किसी महिला की अल्ट्रा सोनोग्राफी करता है, वह विहित प्रारूप में अभिलेखित् करते हुये करेगा। कमी या अपूर्णता की दशा में यह उपधारणा किया जायेगा कि लिंग के निर्धारण के प्रयोजन से ही अल्ट्रा सोनोग्राफी किया गया है। प्रसूति पूर्व परीक्षण करने वाले व्यक्ति पर यह प्रतिबंध अधिरोपित है कि वह गर्भवती महिला या उसके रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति को गर्भस्थ भ्रूण के बारे में न तो शब्दों द्वारा, न संकेतों द्वारा, और न तो किसी अन्य प्रकार से बतायेगा।

प्रसूति पूर्व परीक्षण विधियों, लिंग चयन विधियों तथा उनके दुरुपयोग जैसे नीतिगत विषयों पर परामर्श देने सम्बन्धी, पुनरीक्षण तथा निरीक्षण करने और अधिनियम एवं नियमों में परिवर्तन सम्बन्धी सुझाव देने हेतु 'केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड', 'राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड' एवं 'केन्द्र शासित प्रदेश पर्यवेक्षण बोर्ड' का गठन किया गया है। केन्द्र सरकार या राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भू–भाग में, जहाँ प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण से मादा भ्रूण की हत्या होती है, एक या एक से अधिक समुचित प्राधिकारियों को नियुक्त कर सकती है। यह प्राधिकारी आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लीनिक की अनुज्ञप्ति की मंजूरी, निलम्बन, निरस्तीकरण सम्बन्धी कार्य करेंगे। समुचित प्राधिकारी लिंग चयन तथा प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी स्थान पर करने पर, या संज्ञान में लाये जाने पर कार्यवाही करने तथा जाँच करवाने का भी कार्य करेगा। किसी भी व्यक्ति को सम्मान करने, तथा दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत कराने एवं कोई भी स्थान, जहॉ लिंग चयन पद्धति तथा प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण के रुप में प्रयुक्त होने की आंशका हो, के लिए तलाशी वारण्ट जारी करने की शक्ति होगी। समुचित प्राधिकारी को स्वतः या शिकायत पर पंजीयन के प्रमाण–पत्र को निलंबित या निरस्तीकरण हेतु अधिकारित किया गया है। समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध 30 दिन के भीतर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार को अपील किये जाने का उपबन्ध है। गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण से सम्बन्धित कोई विज्ञापन का किसी भी रुप में (जिसमें इण्टरनेट भी शामिल है) प्रतिषेध किया गया है तथा प्रतिषेध का उल्लंघन किये जाने पर तीन वर्ष का कारावास तथा दस हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित होगा। धारा 23(1) में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी चिकित्सा विशेषज्ञ, चिकित्सा व्यवसायी या कोई भी व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह तीन वर्ष तक का कारावास, या दस हजार तक का जुर्माना से दण्डित किया जायेगा। धारा 23(2) के अनुसार, न्यायालय द्वारा आरोप विरचित होने की दषा में प्रकरण के निपटारे तक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम राज्य चिकित्सा परिषद् से निलंबित कर दिया जायेगा। दोषसिद्ध होने की स्थिति में, प्रथम अपराध की दशा में पाँच वर्ष तक कारावास, तथा अपराध की पुनरावृत्ति होने पर स्थायी रुप से परिषद् की पंजिका से नाम पृथक कर दिया जायेगा। धारा 23(3) जो कोई किसी गर्भवती महिला के भ्रूण के लिंग चयन में किसी चिकित्सा आनुवांशिकविद्, गायनेकोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट या इमेंजिंग विशेषज्ञ की सहायता प्राप्त करते है, तीन वर्ष तक का कारावास तथा पचास हजार रूपये तक जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है।

धारा 24 यदि न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि गर्भवती महिला को उसके पति या अन्य रिश्तेदार द्वारा, प्रसूति पूर्व परीक्षण हेतु मजबूर किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति तीन माह तक का कारावास एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित होगा। इस अधिनियम के अधीन गठित प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय, एवं अशमनीय होंगे और महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण सुविधा की उपलब्धता के बारे में प्रचार–प्रसार करने वाले चिकित्सक एवं रेडियोलॉजिस्ट, जो लिंग निर्धारण के दोषी है, रू 50,000/– तक का जुर्माना एवं 5 वर्ष तक का कारावास से दण्डित होंगे। कोई व्यक्ति जो गर्भस्थ शिशु का लिंग निर्धारण करवाता है उसे 5 वर्ष तक का कारावास एवं एक लाख रुपये तक का जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है। रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र जारी होने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए मान्य किया गया है।

कन्या भ्रूण हत्या रोकने के सम्बन्ध में न्यायपालिका की भूमिका

कन्या भ्रूण हत्या रोकने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने संवेदनशीलता एवं सक्रियता का परिचय देते हुये केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा सक्षम प्राधिकारियों एवं संस्थाओं को विधि का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु समय–समय पर आदेशात्मक एवं निर्देशात्मक दिशा–निर्देश जारी कर व्यापक पैमाने पर हो रहे कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास किया है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय निम्नवत् हैः

Center for Enquiry into Health and Allied Themesa (CEHAT) and Ors. V/s Union of India[1]

कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए संसद द्वारा बनाये गये पूर्व गर्भधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रभावी एवं सुचारू रूप से क्रियान्वयन न किये जाने पर याचिकाकर्तागण "Center for Enquiry into Health and Allied Themesa' (CEHAT) (सेहत) एवं 'महिला सर्वागीण उत्कर्ष मण्डल' (MASUM) नामक संस्थाओं द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की। याचिका द्वारा डायग्नोसिस को रोकने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति गठित किये जाने एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक 06 माह में मीटिंग आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने की माँग की गयी थी। याचिका में अधिनियम के प्रभाव को विफल मानते हुये Pre-Natal Diagnostic Technique को अधिनियम के विरूद्ध बताते हुये उसके विज्ञापन पर भी रोक लगाये जाने की माँग की गयी थी।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया कि पूर्व गर्भधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रवर्तन के बाद भी कन्या भ्रूण हत्या पर रोक नहीं लग पा रही है तथा आज भी यह समाज में विभिन्न स्वरूप में मौजूद है। यद्यपि यह कार्य नैतिकता एवं विधिक उपबन्धों के विरूद्ध है फिर भी कन्या भ्रूण हत्या के पुराने तरीकों के स्थान की जगह नूतन तकनीक के रूप में आज गर्भ में ही हत्या हो रही है। याचिका में पारित निर्णय के आधार पर मा0 उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश जारी किया कि ''निरीक्षण एवं अनुवीक्षक समिति'' का गठन किया जाये।

Voluntary Health Association of Punjab V/s Union of India and Ors.[2]

इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसूति पूर्व (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों को प्रभावशील ढंग से लागू करने सम्बन्धी व्यापक दिशा–निर्देश जारी किया। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश सभी पंजीकृत इकाई से नागरिक पंजीकरण रिकार्ड का एक केन्द्रीकृत डेटाबेस तैयार किया जाये जिसमें लड़के व लड़कियों के जन्म होने की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध हो। वेबसाइट पर जन्म लेने वाले लड़के व लड़कियों की सदृश्य तुलनात्मक अध्ययन उपलब्ध हो। वैधानिक निकायों का गठन किया जाये। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा के प्रसार के दौरान इस अभियान पर बल दें। अखिल भारतीय रेडियो और दूरदर्शन के प्राधिकारियों को विभिन्न राज्यों में उचित दिशा–निर्देश जारी किये जाये जिससे बालिकाओं के बचाव से सम्बन्धित व्यापक प्रचार किया जा सके और समाज को कन्या भ्रूण हत्या से होने वाले गम्भीर खतरों से अवगत कराया जा सके।

श्री विजय शर्मा एवं अन्य प्रति भारत संघ[3]

पूर्व गर्भधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध बताते हुए याचिका दायर की गयी थी। याची का यह कहना था कि माता–पिता को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि यदि परिवार में एक या दो बच्चे लड़की हैं तो दूसरे या तीसरे बच्चे को लिंग परीक्षण कर यह तय कर सके कि अगला बच्चा लड़का पैदा हो जिससे वह दोनों का प्यार पा सके और परिवार पूरा हो सके और साथ में भाई–बहन का प्यार प्राप्त हो सके। यह बात भी कहा कि कुछ परिस्थितियों में गर्भवती महिला को गर्भपात की अनुमति दी जाती है।

माननीय न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि एक महिला जो विशेषतः किसी एक बच्चे को नहीं चाहती है तथा एक महिला जो दूसरे कारणों से गर्भपात कराना चाहती है न कि लिंग के कारण, दोनों में अंतर है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि पूर्व गर्भधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 समानता के अधिकार के विरुद्ध है।

चण्डीगढ़ प्रशासन प्रति पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय[4]

माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पूर्व गर्भधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 3(4) के तहत मानसिक विकृतचित्त व्यक्ति की परिभाषा में विकृतचित्त गर्भवती महिला को शामिल नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार है कि वह ऐसे विकृतचित्त गर्भवती महिला के लिए अभिभावक की नियुक्ति यह अभिनिर्धारित करने के लिए करे कि गर्भावस्था को जारी रखा जाए या नहीं या कि इससे उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या नहीं। विकृतचित्त व्यक्ति को वे सभी मूलभूत अधिकार होंगे तथा एक विकृतचित्त वयस्क गर्भवती महिला को यह निर्धारित करने का अधिकार होगा कि वह गर्भ को जारी रख सके।

गौरव गोयल प्रति हरियाणा राज्य[5]

इस प्रकरण में हरियाणा के गुड़गांव जिले में सैप्टिकटैंक में 20 फिट नीचे बहुत से मृत कन्या भ्रूण पाए गए थे। उच्च न्यायालय द्वारा जॉच कमेंटी का गठन किया गया जिसकी रिपोर्ट में कई चिकित्सक और अधिकारी दोषी पाये गये थे। हरियाणा सरकार द्वारा अक्टूबर 1997 को एक अधिसूचना जारी की गयी थी, जिसमें पूर्व गर्भधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत एक सिविल सर्जन को नियुक्त किया गया था, किन्तु यह घोषणा सरकारी गजट में प्रकाशित नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त अधिनियम का राज्य सरकार द्वारा उचित क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है।

निशा मालवीय एवं अन्य प्रति मध्यप्रदेश राज्य[6]

इस मामले में 12 वर्षीय अवयस्क बालिका बलात्कार के परिणामस्वरूप गर्भवती हो गयी थी। मुख्य अभियुक्त एवं दो सह–अभियुक्तों पर लड़की का जबरदस्ती लड़की की सहमति के बिना गर्भपात कराने का आरोप था। न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को लड़की की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध का दोषी पाया और कहा कि स्त्री का गर्भपात कराने का अधिकार एक आत्यांतिक अधिकार है।

सत्या प्रति श्री राम ए. आई. आर. 1983 पंजाब एवं हरियाणा 252

इस मामले न्यायालय ने कहा कि यदि पत्नी का गर्भपात कराने में पति की सहमति नहीं ली जाती है ऐसा गर्भपात 'निर्दयता' की श्रेणी में आयेगा।

मीरु भाटिया प्रसाद प्रति दिल्ली राज्य 2002 क्रि.एल.जे. 1674 (दिल्ली)

इस मामले में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 312 के उपबंध उस गर्भवती स्त्री पर भी लागू होते हैं, जो स्वयं अपना गर्भपात करती है।

निष्कर्ष

भारतीय न्यायपालिका कन्या भ्रूण संहार जैसे संवेदनशील एवं ज्वलंत मुद्दे पर न्यायिक सक्रियता का परिचय देते हुये केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों तथा उपयुक्त प्राधिकारियों एवं संस्थाओं को कड़े दिशा–निर्देश जारी करते हुए कन्या भ्रूण संहार को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहित कर रहा है। कन्या भ्रूण हत्या जैसे संवेदनशील विषय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के बाद कन्या भ्रूण हत्या के प्रति केन्द्र एवं राज्य सरकारें संवेदनशील हुईं और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया। भारतीय न्याय व्यवस्था द्वारा कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए, एवं महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित रखने

में महती भूमिका का निर्वाह किया गया है। लिंग का जन्म पूर्व निर्धारण प्रकृति के विरूद्ध है। ऐसी प्रवृत्ति न केवल महिलाओं के गौरव को ठेस पहुचाती है, वरन् यह संवैधानिक स्वभाव के भी विरूद्ध है।

संदर्भ सूची

1. A.I.R. 2001 SC 2007
2. AIR 2013 Supreme Court 1571
3. A.I.R. 2008 (Bom.) 29
4. http://Judis.nic.in, Accessed on 12/07/2024.
5. http://Judis.nic.in, Accessed on 12/07/2024.
6. 5 August, 1999 Equivalent citations: 2000CRILJ671 https://indiankanoon.org/doc/810498/, , Accessed on 12/07/2024.

****